

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 146/2026  
अनवान : -

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. विक्रम देवी पत्नी मदनलाल जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. सुधीर पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 12/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 अकेली 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 अकेली ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता ने अपनी पुत्री के नाम वाद भूमि दर्ज करवा दी चुकी वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 नाबालिग थे इसलिए वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली है जिसे वादी दुरुस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा प्रतिवादी सं. 1 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में अत्याधिक धन सम्पदा है जो कि अपने भाईयो से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा उन्होंने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Rahul  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 अकेली ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता ने अपनी पुत्री के नाम वाद भूमि दर्ज करवा दी चुकी वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 नाबालिग थे इसलिए वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली है जिसे वादी दुरुस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा प्रतिवादी सं. 1 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल मे अत्याधिक धन सम्पदा है जो कि अपने भाईयो से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं० 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमे सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 अकेली 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.

उपरोक्त अधिकारी  
Zahed  
नोहर

5420 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 अकेली ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता ने अपनी पुत्री के नाम वाद भूमि दर्ज करवा दी चुकी वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 नाबालिग थे इसलिए वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली है जिसे वादी दुरुस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा प्रतिवादी सं. 1 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में अत्याधिक धन सम्पदा है जो कि अपने भाईयो से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा उन्होंने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक .....12/06/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 146/2026  
अनवान : -

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. विक्रम देवी पत्नी मदनलाल जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. सुधीर पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 146 सन 2026 निर्णय दिनांक 12/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 180/177 की कुल तादादी 3.5420 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. को 2 ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .....12/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर